FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2021

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0001 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 21/01/2021 15:46 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)E

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/01/2021 **Time (समय):** 15:40 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 011 **Date and Time (दिनांक और समय):** 21/01/2021 15:46 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): अम्बाला, जिला अम्बाला,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)): AMBALA (HARYANA)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** उप नि. सुबे सिंह

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1969 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला, ACB, Ambala, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला, ACB, Ambala, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	जिले सिंह		Father's Name: सुजान सिंह	1. गांव बोरियावास,रेवाडी REWARI,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्री मान जी, नकल तहरीर निम्न प्रकार से है- सेवा में, थाना प्रबंधक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला। श्री मान जी, निवेदन है कि जांच क्रमांक 05 दिनांक 24.06.2014 अम्बाला मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादी क्रमांक 51/12/14-2 चौकसी-1 दिनांक 17.06.2014 व महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांकन 8373/आई-5/रा.चौ.ब्यु. (ह) दिनांक 24.06.2014 अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य चैकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला के डायरी क्रमांक 1127 दिनांक 27.06.2014 अनुसार जांच हेतू प्राप्त हुई थी। जिसमें रामचन्द्र पुत्र गुरदयाल सिह वासी मकान न0 2329-ई/10 बी गांधी नगर, बलदेव नगर अम्बाला प्रधान दृष्टि वैलफैयर सोसाईटी रजिस्ट्रर्ड अम्बाला की शिकायत में अन्य आरोपों के अतिरिक्त यह भी आरोप था कि श्री

जिले सिहं, सहायक कार्यालय क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण, अम्बाला हाल चरखी दादरी नें अवैध तरीकों से धन कमा कर अवैध चल व अचल सम्पति बनाई हुई है। आरोप की पड़ताल पर पाया गया कि श्री जिले सिंह सहायक आर.टी.ए. अम्बाला हाल चरखी दादरी वर्ष 1983 में रोडवेज रिवाडी में बेसिक मन्थली के आधार पर क्लर्क के तौर पर व दिनांक 23.11.1987 से परिवहन विभाग में बतौर क्लर्क स्थाई तौर पर कार्यरत हुआ था। जिसनें दिनांक 16.03.1995 को बलटाना (पंजाब) में 210 वर्ग गज प्लाट खरीदनें पर अस्टाम डयूटि सहित 44040/- रूपये, वसीका संख्या 2453 दिनांक 18.08.1999 अनुसार मौजा पदनीयावास, जिला रिवाड़ी मं 527 वर्ग गज का प्लाट अपनी पत्नी सुमित्रा के नाम खरीदनें पर अस्टाम डयूटि सहित 119250/- रूपये, वसीका संख्या 3128 दिनांक 30.10.2002 अनुसार प्लाट न. 877 सैक्टर-3, रिवाड़ी में खरीदनें पर अस्टाम डयूटि सहित 5,02,000/- रूपये, वर्ष 2008 से 2009 तक प्लाट न. 877, सैक्टर-3 में मकान बनाने पर कार्यकारी अभियन्ता, राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला द्वारा की गई एसैस्टमैंट अनुसार कुल 34,66,469/- रूपये, वर्ष 2013 से 2014 तक शक्ति नगर, रिवाड़ी में मकान नम्बर 116 पर एसैस्मैंट अनुसार कुल 9,52,098/- रूपये तथा वर्ष 2004 में अपनी पत्नी के नाम स्कूटर पंजीकरण संख्या एच.आर. 36 ई-7679 खरीद करने पर उस समय के एजैंसी रेट के अनुसार 52,000/- रूपये, वर्ष 2011 में स्कूटर न. एच आर 36 क्यु-0096 खरीद करने पर उस समय के एजैंसी रेट के अनुसार 45,000/- रूपये, वर्ष 2014 में विभाग को प्रस्तुत की गई प्रापर्टी रिटर्न अनुसार कार खरीदने पर राशि 3,00,000/- रूपये व फ्रीज खरीदने पर राशि 35,000/- रूपये खर्च की जानी दर्शाई गई है। उपरोक्त अनुसार श्री जिले सिंह सहायक आर.टी.ए. अम्बाला हाल चरखी दादरी खुद के नाम व अपने परिवारिक सदस्यों के नाम 55,15,857/- रूपये की चल व अचल सम्पंति खरीद की जानी पाई गई है। जांच के दौरान श्री जिले सिहं की वेतन के रूप में व अन्य स्रोतों से कुल आय 27,90,250/- रूपये होनी पाई गई । इस प्रकार उपरोक्त द्वारा 55,15,857- 27,90,250 27,25,607 रूपये ज्ञात स्रोतों से अधिक आय के सम्बंध में दिनांक 27.11.2014, 15.07.2015, 17.11.2015, 14.03.2016, 16.05.2016, 08.06.2016, 07.10.2019, 17.10.2019 व 30.10.2019 को नोटिस देने के बावजूद भी कोई ब्यौरा प्रस्तुत नही किया गया। इसलिये श्री जिले सिहं, सहायक कार्यालय क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी, अम्बाला हाल चरखी दादरी पुत्र श्री सुजान सिहं वासी गांव बोरियावास, तहसील व जिला रिवाड़ी के विरूध धारा 13(1) (e) r/w 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधीनियम-1988 के तहत अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया था। इस बारे अन्तिम रिपोर्ट महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला की टिप्पणी सहित कार्यालय के पत्र क्रमांक 11379/रा.चौ.ब्यु. (ह) दिनांक 22.09.2020 के अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई थी। जिस पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा उनके कार्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक 51/12/2014-2 चौकसी-1 दिनांक 28.12.2020 के अनुसार उपरोक्त के विरूध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के आदेश महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांक क्रमांक 55/आई-1/रा.चौ.ब्यु. (ह) दिनांक 01.01.2021 प्राप्त हुये हैं। अतः श्री जिले सिहं, सहायक कार्यालय क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी, अम्बाला हाल चरखी दादरी पुत्र श्री सुजान सिहं वासी गांव बोरियावास, तहसील व जिला रिवाड़ी के विरूध धारा 13(1) (e) r/w 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधीनियम-1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिये लेख प्रस्तुत है। जिस पर अभियोग दर्ज करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट व उच्चाधिकारियों की सेवा में भिजवाई जाये। नकल मिसल मय असल लेख आगामी अनुसंधान के लिये निरीक्षक सतबीर सिहं राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला के हवाले की जाये। sd Sube Singh. सुबे सिहं, उप निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला। दि. 21.01.2021 अज थाना – लिखित लेख उपरोक्त बाजूर्म उपरोक्त पर रफता बा हवाला रपट न. 11 दिनांक 21.01.2021 समय 3.46 पी.एम. अनुसार मुकदमा न. 01 दिनांक 21.01.2021 धारा 13(1) (e) r/w 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधीनियम-1988 बर खिलाफ श्री जिले सिहं, सहायक कार्यालय क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी, अम्बाला हाल चरखी दादरी पुत्र श्री सुजान सिहं वासी गांव बोरियावास, तहसील व जिला रिवाड़ी के खिलाफ दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा की स्पैशल रिपोर्ट बादस्त ई.एच.सी. अनील कुमार न. 825/अम्बाला के ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब अम्बाला की सेवा मे भिजवाई जा रही है। नकल मिसल पुलिस मय असल लेख मय रिकार्ड आगामी अनुसंधान हेतू निरीक्षक सतबीर सिंह के हवाले की गई । प्रथम सुचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारीगण की सेवा मे अलग से भिजवाई जा रही है। रिकार्ड ईन्द्राज विधिनुसार किया गया।

13.

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद **सं.** 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Satbir Singh **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 47A **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): ramesh kumar

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): hps

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की **दिनांक** और समय**):**

Error: Subreport could not be shown.